अध्याय-I

प्रस्तावना

1.1 राजस्व शेयरिंग व्यवस्था और इसकी मुख्य विशेषताएं

नई दूरसंचार नीति-1999 (एन टी पी-99) जो अप्रैल 1999 से प्रभाव में आयी, ने भारतीय टेलीकाम सेक्टर में राजस्व शेयरिंग की व्यवस्था प्रारम्भ की। इस व्यवस्था के तहत दूर संचार सेवा प्रदाताओं को, जो दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) द्वारा जारी किए गए लाइसेंस को रखते थे, दूरसचांर सेवाओं अर्थात यूनिफाइड एक्सेस सर्विसेस (यू ए एस), नेशनल लांग डिस्टेंस (एन एल डी) सेवाएं, इंटरनेशनल लांग डिस्टेंस (आई एल डी) सेवाएं, वेरी स्माल एपर्चर टर्मिनल (वी सैट) सेवा और इंटरनेट सर्विसेस, को प्रदान करने के लिए सरकार को वार्षिक लाइसेंस फीस के रूप में समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) का एक निश्चित प्रतिशत भुगतान करना है। राजस्व शेयर के भुगतान के लिए सकल राजस्व (जी आर) और ए जी आर, दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) और सेवा प्रदाताओं के मध्य समझौते में परिभाषित है। जबकि भुगतान योग्य लाइसेंस फीस (एल एफ) की दर को सेवा के प्रकार और सेवा क्षेत्र[1] की कैटेगरी, जहां सेवा 2012-13 तक दी गयी थी, से सम्बन्धित किया गया था, 1 अप्रैल 2013 से सेवा क्षेत्र की कैटेगरी से निरपेक्ष, सभी सेवाओं के लिए लाइसेंस फीस की एक समान दर प्रारम्भ की गयी थी।

निम्नलिखित तालिका, सेवाओं की कैटेगरी और लाइसेंस फीस के प्रतिशतता को दर्शाती है:

तालिका-1.1

<table>
<tr><th rowspan="2">लाइसेंस का प्रकार</th><th rowspan="2">सेवा क्षेत्र की कैटेगरी</th><th rowspan="2">सेवा क्षेत्र का नाम</th><th rowspan="2">2010-11</th><th rowspan="2">2011-12</th><th colspan="2">2012-13</th><th rowspan="2">2013-14 एवं 2014-15</th></tr>
<tr><th>01.04.12 से 30.06.12</th><th>01.07.12 से 31.03.13</th></tr>
<tr><td rowspan="3">यू ए एस</td><td>ए</td><td>दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, तमिलनाडु (चैन्नई सहित), आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="8">8</td></tr>
<tr><td>बी</td><td>हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (पू), उत्तर प्रदेश (प), पश्चिम बंगाल</td><td colspan="2">8</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>सी</td><td>असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, नार्थ ईस्ट, उड़ीसा</td><td colspan="2" rowspan="5">6</td><td rowspan="5">6</td><td rowspan="5">7</td></tr>
<tr><td>एन एल डी</td><td colspan="2">सम्पूर्ण भारत</td></tr>
<tr><td>आई एल डी</td><td colspan="2">सम्पूर्ण भारत</td></tr>
<tr><td>वी एस ए टी</td><td colspan="2">सभी सेवा क्षेत्र</td></tr>
<tr><td>आई एस पी-आई टी</td><td colspan="2">सभी सेवा क्षेत्र</td></tr>
<tr><td>आई एस पी</td><td colspan="2">सभी सेवा क्षेत्र</td><td colspan="2">₹1 मात्र</td><td>₹1 मात्र</td><td>4</td></tr>
</table>

[1] देश को 23 सेवा क्षेत्रों जिसमें 19 दूरसंचार परिमण्डल एवं 4 मैट्रो परिमण्डल हैं, में विभाजित किया गया था। बाद में चैन्नई सेवा क्षेत्र को तमिलनाडु सेवा क्षेत्र में विलय (सितम्बर 2005) कर लिया गया था जिससे सेवा क्षेत्रों की संख्या 22 हो गई।

लाइसेंस फीस के अतिरिक्त लाइसेंसधारियों को, जो मोबाइल (वायरलैस) सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं, स्पैक्ट्रम प्रयोग प्रभार (एस यू सी) का भुगतान करना है। एस यू सी दरें आपरेटरों को आंवटित फ्रीक्वैंसी बैण्ड और रेडियो फ्रीक्वैसी स्पैक्ट्रम की मात्रा से जोड़ी गयी हैं। वर्ष 2010 तक, डी ओ टी ने रेडियो फ्रीक्वैंसी का प्रशासनिक आवंटन का अनुसरण किया जहाँ

- सेवा प्रदाता जो जी एस एम सर्विस तथा सी डी एम ए सेवा प्रदान करने के लिए इच्छुक थे, को क्रमशः 2 x 4.4 मेगाहर्टज और 2 x 2.5 मेगाहर्टज का स्टार्ट अप स्पैक्ट्रम दिया गया।
- स्टार्ट अप स्पैक्ट्रम के अलग अतिरिक्त आवंटन, अभिदाता के आधार से जोड़ा था।

परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय के फरवरी 2012 के निर्देशों के अनुपालन में प्रशासनिक आवंटन की प्रक्रिया समाप्त कर दी गयी और डी ओ टी ने स्पैक्ट्रम नीलामी की एक व्यवस्था शुरू की जिसका अन्य बातों के बीच उद्देश्य पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा प्राकृतिक स्रोतों के लिए बाजार आधारित मूल्य प्राप्त करना था।

ग्राहक एक्सेस स्पैक्ट्रम के लिए एस यू सी दरें फरवरी 2010 में बढ़ाकर संशोधित की गयी थीं जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी थी जिसे नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-1.2

स्पैक्ट्रम की मात्रा		**ए जी आर[2] के प्रतिशत के रूप में स्पैक्ट्रम प्रभार**
जी एस एम (3जी सहित)	**सी डी एम ए**	
2 x 4.4 मेगाहर्ट्ज तक	2 x 5.0 मेगाहर्ट्ज तक	3
2 x 6.2 मेगाहर्ट्ज तक	2 x 6.25 मेगाहर्ट्ज तक	4
2 x 8.2 मेगाहर्ट्ज तक	2 x 7.5 मेगाहर्ट्ज तक	5
2 x 10.2 मेगाहर्ट्ज तक	2 x 10.0 मेगाहर्ट्ज तक	6
2 x 12.2 मेगाहर्ट्ज तक	2 x 12.5 मेगाहर्ट्ज तक	7
2 x 15.2 मेगाहर्ट्ज तक	2 x 15.0 मेगाहर्ट्ज तक	8

हालाँकि इस दर को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने इस आधार पर कि डी ओ टी ने एकतरफा दरें बढ़ाई हैं जो लोकहित में नहीं हैं, चुनौती दी थी। मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है।

यह संशोधित दरें वहां लागू है जहां टी एस पी ने नीलामी में 3जी स्पैक्ट्रम प्राप्त किया था। फरवरी 2014 की नीलामी के द्वारा 1800 मेगाहर्टज और 900 बैण्ड में प्राप्त स्पैक्ट्रम के लिए एस यू सी प्रभार ए जी आर के 5 प्रतिशत की दर से भारित किया जाना था। नीलामी के तहत प्राप्त किये गये स्पेक्ट्रम तथा 900 मेगाहर्टज और 1800 मेगाहर्टज बैण्ड के मौजूदा स्पैक्ट्रम के संयोजन के प्रकरणों में भारित

[2] सभी आपरेटरों द्वारा स्पैक्ट्रम प्रयोग प्रभार का समान रूप में भुगतान नहीं किया गया है, परन्तु नीलामी व्यवस्था से प्राप्त किये गये स्पैक्ट्रम पर स्पैक्ट्रम प्रयोग प्रभार, डी ओ टी के आदेशों के अनुसार भुगतान किये जा रहे हैं।

औसत दर से गणना की जानी थी। 2010 में नीलामी के जरिए प्राप्त 2300 मेगाहर्टज बैण्ड में बी डब्ल्यू ए स्पेक्ट्रम के लिये एस यू सी ए जी आर के एक प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जाना था।

मुख्य स्पैक्ट्रम के अतिरिक्त, माइक्रोवेव एक्सेस और माइक्रोवेव बैकबोन स्पैक्ट्रम,[3] सेलुलर आपरेटरों को आवंटित किये गये। माइक्रोवेव एक्सेस और माइक्रोवेव बैकबोन के लिए स्पैक्ट्रम प्रयोग प्रभार की दर डी ओ टी द्वारा 3 नवम्बर 2006 से संशोधित की गयी थी। संशोधन को जी एस एम आपरेटरों द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गयी कि डी ओ टी ने दरों को एकतरफा बढ़ा दिया है जो कि लोकहित में नहीं है। मामला न्यायाधीन है।

1.2 विभिन्न लाइसेसों में सकल राजस्व (जी आर)/समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) की परिभाषा

दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के मध्य हुआ समझौता, दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिये नियम व शर्तों का नियमन करता है। लाइसेंस समझौते की शर्तों के अनुसार लाइसेंसी कम्पनियों द्वारा एक लाइसेंसी सेवा से सूचित ए जी आर के एक मान्य प्रतिशत की दर पर डी ओ टी को एक वार्षिक लाइसेंस फीस का भुगतान किया जाना था। डी ओ टी द्वारा जारी विभिन्न लाइसेंसों में सकल राजस्व (जी आर), कटौतियां और समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) की परिभाषा निम्न प्रकार है:

अ) यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस (यू ए एस एल) और यूनिफाइड लाइसेंस (यू एल)- जी आर तथा ए जी आर की गणना हेतु अनुमत्य कटौतियां यू ए एस एल समझौते के क्लाज 19 में परिभाषित है। क्लाज 19.1 के अनुसार जी आर में स्थापना शुल्क, विलम्ब शुल्क, हैण्ड सेट की बिक्री से आय, (या कोई अन्य टर्मिनल यंत्र आदि), ब्याज, लाभांश, मूल्य वर्धित सेवाएं, पूरक सेवाएं, एक्सेस या इंटरकनेक्शन शुल्क, रोमिंग शुल्क के रूप में राजस्व, अनुमत्य इन्फ्रास्ट्रक्चर के शेयरिंग से राजस्व और कोई अन्य विविध राजस्व, व्यय आदि की सम्बन्धित मद का समायोजन किये बिना सम्मिलित होगा।

आगे, अनुबन्ध के क्लाज 19.2 के अनुसार ए जी आर ज्ञात करने के लिए जी आर में से निम्न को बाहर रखा जायेगा -

i. भारत के अन्दर अन्य योग्य/हकदार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को वास्तव में भुगतान किये गये पब्लिक स्विच्ड टेलीकॉम नेटवर्क (पी एस टी एन) से सम्बन्धित काल चार्जेज (एक्सेस चार्जेज);

ii. अन्य योग्य/हकदार दूरसंचार प्रदाताओं को वास्तव में स्थानान्तरित किया गया रोमिंग राजस्व, और

iii. यदि जी आर में सेवा कर एवं बिक्री कर के घटक सम्मिलित हैं तो सरकार को वास्तव में भुगतान किये गये सेवा प्रदान करने के लिए सेवा कर और बिक्री कर।

[3] माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, रेडियो तरंगों को प्रयोग करते हुए सूचना को भेजने की तकनीकी को सन्दर्भित करता है। मोबाइल बैकहाल के साथ साथ बैकबोन नेटवर्क में प्वाइंट टु प्वाइंट (पी टी पी) रेडियो फ्रीक्वैंसी (आर एफ) सम्बन्ध प्रदान करने के लिए माइक्रोवेव टेक्नोलाजी, मोबाइल संचार में विस्तृत रूप से प्रयोग की गयी है। मोबाइल बैकहाल, नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर का वह भाग है जो एक्सेस और कोर नेटवर्क का प्रयोग, विभिन्न भौगौलिक स्थानों पर स्थित विभिन्न नोडस को इंटरकनेक्ट करने में किया जाता है। विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर स्थित विभिन्न नोड्स को आपस में जोड़ने के लिये बैकबोन नेटवर्क उपयोग किया जाता है।

ब) **नेशनल लांग डिस्टेंस (एन एल डी)-**एन एल डी सेवाओं के लिए जी आर/ए जी आर को एन एल डी अनुबंध के क्लाज 31 के अनुलग्नक-II में परिभाषित किया गया है जिसमें यह प्रावधान है कि "राजस्व के प्रतिशत को लाइसेंस शुल्क के रूप में लगाने के लिए राजस्व का अर्थ लाइसेंसी को लाइसेंस के अन्तर्गत एन एल डी सेवा प्रदान करके प्राप्त हुआ कुल सकल उपार्जित राजस्व आय जिसमें अनुपूरक/मूल्य वर्धित सेवाओं से एवं अवसंरचना के लीज पर देने से, ब्याज, लाभांश आदि से प्राप्त हुआ राजस्व, शामिल होगा तथा इसमें से अन्य सेवा प्रदाताओं जिनके नेटवर्क के साथ लाइसेंसी का एन एल डी नेटवर्क काल वहन के लिए अन्तः सम्बन्ध है, को देय पास थ्रू प्रकृति के घटक भाग को घटाया जायेगा।"

स) **इंटरनेशनल लांग डिस्टेंस-** आई एल डी सेवाओं के लिए जी आर में, जैसा कि आई एल डी अनुबन्ध के क्लाज 36 के तहत परिभाषा और व्याख्या में परिभाषित किया गया है, "सामान की आपूर्ति, प्रदान की गयी सेवाएं, इन्फ्रास्ट्रक्चर की लीजिंग, अन्य के द्वारा इसके संसाधनों का प्रयोग, आवेदन शुल्क, स्थापना शुल्क, काल चार्जेज, विलम्ब शुल्क, यंत्रों की बिक्री से आय (या कोई टर्मिनल उपकरण एक्सेसरी सहित), हैण्ड सेट, बैण्डविड्थ, मूल्य वर्धित सेवा से आय, पूरक सेवाएं, एक्सेस या इंटरकनेक्शन चार्जेज, किराये पर लिए गये इन्फ्रास्टक्चर इत्यादि के लिए कोई लीज या किराया शुल्क आदि, और अन्य विविध मद ब्याज, लाभांश आदि सहित, व्यय की सम्बन्धित मद आदि का समायोजन किये बिना संग्रहीत राजस्व शामिल होगा।

लाइसेंस फीस के आरोपण के उददेश्य से ए जी आर का अर्थ, निम्न द्वारा कम किया गया जी आर होगा:

i. काल वहन के लिए अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को वास्तव में भुगतान किये गये काल चार्जेज (एक्सेस चार्जेज)।

ii. यदि सकल राजस्व में सेवा कर और बिक्री कर के घटक सम्मिलित किये गये हैं तो सरकार को वास्तव में भुगतान किये गये सेवा को प्रदान करने के लिए सेवा कर और ब्रिकी कर।

द) **इंटरनेट सेवाएं-**लाइसेंस अनुबन्ध में इंटरनेट सेवाओं जिसमें इंटरनेट टेलिफोनी (आई एस पी-आई टी) भी शामिल है, हेतु जी आर को परिभाषित किया गया है कि "जी आर में, इंटरनेट एक्सेस सेवा, इंटरनेट कन्टेंट सेवा, इंटरनेट टेलीफोनी सेवा, स्थापना प्रभार, विलम्ब शुल्क, टर्मिनल यंत्रों की बिक्री से आय, ब्याज से प्राप्त राजस्व, लाभांश, मूल्य वर्धित सेवाएं, पूरक सेवाएं, अवसंरचना के अनुमत्य हिस्सेदारी से प्राप्त राजस्व, कोई अन्य व्यय आदि की सम्बन्धित मद का समायोजन किये बिना शामिल होगा।

ए जी आर निकालने के उददेश्य से, जी आर से निम्नलिखित को बाहर रखा जायेगा।

(i) इंटरनेट एक्सेस से प्राप्त प्रभार, इंटरनेट कन्टेंट एवं इंटरनेट एक्सेस से सम्बन्धित स्थापना प्रभार।

(ii) यदि सकल राजस्व में सेवा कर और बिक्री कर के घटक सम्मिलित किये गये हैं तो सरकार को वास्तव में भुगतान किये गये सेवा को प्रदान करने के लिए सेवा कर और बिक्री कर।

इ) **वेरी स्माल एपर्चर टर्मिनल (वी-सैट)-**वी सैट लाइसेंस अनुबंध में विनिर्दिष्ट जी आर की परिभाषा के अनुसार "सकल राजस्व के अन्तर्गत, लाइसेंसी को सामान आपूर्ति करने, सेवाएं प्रदान करने,

अवसंरचना को लीज/किराये पर देने, इसके संसाधनों का अन्य के द्वारा प्रयोग करने, आवेदन शुल्क, प्रतिस्थापना प्रभार, काल दरों, बिलम्ब शुल्क से, यंत्रों की बिक्री से आय (या किसी टर्मिनल उपकरणों एक्सेसरीज सहित), वी सैट हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर, वार्षिक रख रखाव संविदा/वार्षिक व्यापक रखरखाव संविदा से प्राप्त शुल्क, मूल्य वर्धित सेवाओं से प्राप्त हुई आय, पूरक सेवाओं, एक्सेस या इंटरकनेक्शन प्रभार आदि एवं अन्य विविध मद ब्याज, लाभांश सहित, के नाम पर प्राप्त समस्त राजस्व व्यय आदि की सम्बन्धित मद का समायोजन किए बिना शामिल होगा"।

लाइसेंस फीस आरोपण के उददेश्य से राजस्व के प्रतिशत के रूप में राजस्व में इस लाइसेंस के तहत वी सैट सेवा प्रदान करने से लाइसेंसी को उपार्जित सकल कुल राजस्व शामिल होगा किन्तु निम्न को बाहर रखा जायेगा:-

(i) अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, जिनके नेटवर्क के साथ लाइसेंसधारक का नेटवर्क डाटा वहन करने के लिए अन्तः सम्बन्धित है, को किये गये पास थ्रू प्रकृति के प्रभार का वास्तविक भुगतान।

(ii) सरकार को भुगतान किया गया सेवा कर, यदि सकल राजस्व में सेवाकर का घटक शामिल है।

1.3 लाइसेंस फीस के भुगतान के लिए राजस्व रिपोर्टिंग की महत्वपूर्ण विशिष्टिताएं

दूरसंचार विभाग एवं सेवा प्रदाताओं के बीच हुआ अनुबन्ध, लाइसेंसी कम्पनियों को लेखों को तैयार करने एवं रिपोर्टिंग करने के तथा सरकार को लाइसेंस फीस भुगतान करने के तरीके का मानक निर्धारित करता है। प्रावधानों के अनुसार लाइसेंसी कम्पनी द्वारा लाइसेंस की शर्तों के अनुसार गणना किये गये देय राजस्व एवं देय लाइसेंस फीस की लेखापरीक्षा कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 224 (1 अप्रैल 2014 से लागू कम्पनीज़ एक्ट 2013 की धारा 139) के अन्तर्गत नियुक्त उसके लेखापरीक्षकों द्वारा की जानी अपेक्षित है तथा इसके साथ एक प्रतिवेदन, जिसमें कम्पनी के संवैधानिक लेखापरीक्षक ने उल्लेख किया हो कि विवरण लाइसेंस अनुबन्ध में वर्णित मानक/दिशा निर्देश के अनुसार तैयार किया गया है, संलग्न होना चाहिए। यह मानक अनुबन्ध में सम्मिलित महत्वपूर्ण आवश्यक घटक थे यह सुनिश्चित करने के लिये कि लाइसेंसी कम्पनियों ने अपना राजस्व लाइसेंस की शर्तों के अनुसार प्रतिवेदित किया है एवं भिन्नता, यदि कोई हो, पूरी तरह से बतायी जायेगी।

लेखों को तैयार करने एवं देय लाइसेंस फीस के भुगतान करने की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं:

तालिका - 1.3

प्रावधान
➢ लाइसेंसधारी कम्पनी द्वारा प्रचालित प्रत्येक दूरसंचार सेवा के लिए अलग से खाते रखे जाने चाहिए।
➢ राजस्व एवं देय लाइसेंस शुल्क की गणना एक निर्धारित विवरणी (ए जी आर विवरणी) में दर्शाना चाहिए एवं इसकी लेखापरीक्षा कम्पनीज एक्ट, 1956/2013 की धारा 224/139 के अन्तर्गत नियुक्त लाइसेंसी के लेखापरीक्षकों द्वारा की जानी चाहिए।

➢ राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर स्पैक्ट्रम प्रयोग प्रभार लगाने के सीमित उददेश्य के लिए ए जी आर की गणना करते समय वायरलाइन उपभोक्ताओं से प्राप्त राजस्व को लेखे में नहीं लिया जायेगा।
➢ कम्पनीज एक्ट, 1956/2013 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष के लिए लाइसेंस शुल्क का अंतिम समायोजन लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित जी आर आंकडों के आधार पर किया जायेगा।
➢ सेवा राजस्व (बिल योग्य राशि) को सकल रूप में दर्शाया जाना चाहिए एवं छूट/रिबेट के ब्यौरे को अलग से बताया जाना चाहिए। ➢ बिल किया गया सेवाकर एवं बिक्री कर जिसको कि संग्रह किया गया एवं सरकार को जमा किया गया, अलग से दिखाया जायेगा। ➢ बिक्री को सकल दिखाना है तथा दी गयी छूट/रिबेट के ब्यौरे एवं बिक्री विवरणी को अलग से दिखाना है। ➢ सम्बन्धित खर्चों के समायोजन के बिना ब्याज एंव लाभांश से हुई आय को अलग से दिखाना है। ➢ आय के मदवार ब्यौरे जिनको सम्बन्धित खर्चे में से घटा दिया गया है। ➢ रोमिंग प्रभार में, प्रचालकवार प्राप्त एवं देय राशि, प्राप्त एंव अदा किये गये रोमिंग कमीशन एवं अन्य प्रचालकों से प्राप्त/स्थानान्तरित किये गये अन्य परिवर्ती प्रभारों को, दर्शाना चाहिए।
➢ तिमाही विवरणी में प्रदर्शित आंकड़ों तथा वार्षिक लेखा में प्रदर्शित आंकडों के मध्य समाधान को, प्रकाशित वार्षिक लेखा के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा विधिवत संपरीक्षित तिमाही विवरणों की एक प्रति के साथ प्रस्तुत किया जाये।
➢ लाइसेंस प्रदाता यदि इस मत पर पहुंचे कि प्रस्तुत की गयी विवरणियां या लेखे सही नहीं हैं या भ्रामक हैं तो वे लाइसेंसी द्वारा वहन की जाने वाली लागत पर लेखापरीक्षक नियुक्त कर लाइसेंसी के लेखाओं की लेखापरीक्षा का आदेश जारी कर सकते हैं एवं इन लेखापरीक्षकों के पास वे सभी अधिकार होंगे जो कि कम्पनीज एक्ट, 1956/2013 की धारा 227/143 के अन्तर्गत कम्पनी के संवैधानिक लेखापरीक्षकों के पास होता है। लाइसेंस प्रदाता, लाइसेंसी कम्पनी के लेखाओं/अभिलेखों की "विशेष लेखापरीक्षा" भी करवा सकते हैं।
➢ लाइसेंस फीस प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान चार तिमाही किश्तों में देय होगा। इस फीस का भुगतान वास्तविक राजस्व के आधार पर किया जायेगा (उपार्जन के आधार पर)
➢ निर्धारित अवधि के बाद देय लाइसेंस फीस के भुगतान में विलम्ब की स्थिति में वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में भारतीय स्टेट बैंक की प्राइम लेण्डिग दर (पी एल आर) से 2 प्रतिशत अधिक ब्याज लगेगा।
➢ ब्याज की गणना मासिक चक्रवृद्धि आधार पर होगी और माह का एक अंश ब्याज की गणना हेतु पूरा माह माना जायेगा। माह अंग्रेजी कलैण्डर का माह माना जायेगा।

1.4 संग्रहीत राजस्व हिस्सेदारी

डी ओ टी द्वारा वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में संग्रहीत किये गये राजस्व हिस्सेदारी का विवरण नीचे दिया गया है:

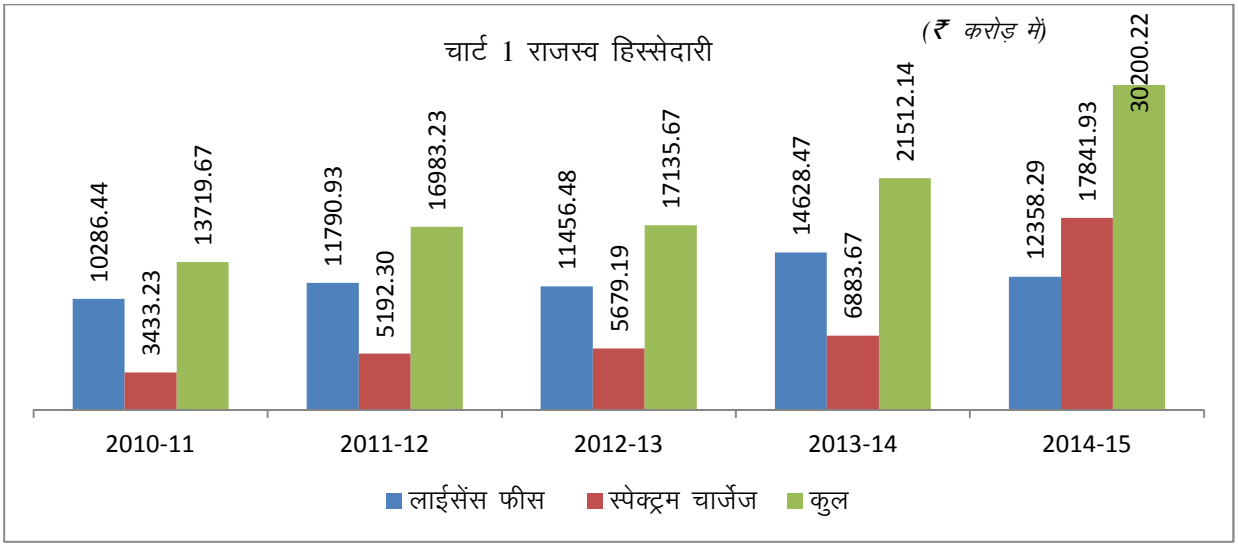

1.5. लाइसेंस फीस और स्पैक्ट्रम प्रयोग प्रभार के संग्रहण, लेखांकन और मूल्यांकन की डी ओ टी में व्यवस्था

डी ओ टी ने, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा भुगतान किये गये राजस्व हिस्सेदारी के संग्रहण के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की है :

तालिका- 1.4

प्रक्रिया	सम्बन्धित कार्यालय
➢ लाइसेंस फीस एवं स्पैक्ट्रम चार्जेज का संग्रहण	एल एस ए में नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए) कार्यालय
➢ ए जी आर हेतु जी आर से कटौती के लिए पी एस पी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण दस्तावेजों का सत्यापन	सी सी ए कार्यालय
➢ ऑपरेटर के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखाओं और सी सी ए द्वारा प्रस्तुत सत्यापन रिपोर्टों के आधार पर राजस्व हिस्सेदारी का अभिकलन और डिमांड नोट जारी करना	डी ओ टी का लाइसेंस फाइनेंस विंग
➢ एस यू सी का अभिकलन	डी ओ टी/सी सी ए कार्यालयों का डब्ल्यू पी एफ विंग

1.6 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक ने 2014-15 में छः[4] दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक के आधारभूत लेखीय अभिलेखों तथा दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य क्रिया जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 16 और भारत के दूरसंचार एवं नियामक प्राधिकरण, सेवा प्रदाता (लेखा बहियों तथा अन्य दस्तावेजों का संधारण) नियम 2002, के नियम 5 (ii) के अधीन समादेशित है, जो कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 17 अप्रैल 2014 के द्वारा बहाल रखा गया। लेखापरीक्षा निष्कर्ष भारत के

[4] मै. भारती एयरटेल लिमिटेड और इसकी अनुषंगी भारती हेक्साकॉम लिमिटेड,मै. वोडाफोन इण्डिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कम्पनियाँ, मै. रिलायंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड और इसकी अनुषंगी मै. रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, मै. आईडिया सेल्युलर लिमिटेड और इसकी अनुषंगी आदित्य बिड़ला टेलीकॉम लिमिटेड, मै. टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनी मै. टाटा टली सर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड तथा मै. एयरसेल लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कम्पनियाँ एयरसेल सेल्युलर लिमिटेड एवं डिशनेट वायरलेस लिमिटेड

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संघ सरकार (संचार एवं आई टी सेक्टर) के 2016 के प्रतिवेदन संख्या 4 में प्रदर्शित हुए थे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने 2016 में पूर्व में लेखापरीक्षित पाँच दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (मैसर्स टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड तथा इसकी सहयोगी कम्पनी मैसर्स टाटा टेली सर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड के अलावा) के आधारभूत लेखीय अभिलेख तथा दस्तावेजों का 2010-11 से 2014-15 तक के चार वर्षों के लेखाओं को समाहित करते हुए तथा मैसर्स सिसटेमा श्याम टेलीसर्विसेस लिमिटेड के संबंध में 2006-07 से 2014-15 तक की अवधि को समाहित करते हुए सत्यापन किया। यह सत्यापन नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 16 और भारत के दूरसंचार एवं नियामक प्राधिकरण, सेवा प्रदाता (लेखा बहियों तथा अन्य दस्तावेजों का संधारण) नियम 2002, के नियम 5 (ii) के अधीन दिये गए समादेश के अनुरूप था जो कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 17 अप्रैल 2014 के द्वारा बहाल रखा गया।

इस प्रतिवेदन में उपरोक्त सभी ऑपरेटरों के 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लेखाओं को शामिल किया गया और मैसर्स सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेस के प्रकरण में लेखापरीक्षा का क्षेत्र वर्ष 2006-07 से 2014-15 तक था। इस प्रतिवेदन में चुने गये ऑपरेटरों की भारत के दूरसंचार मार्केट में हिस्सेदारी 80 प्रतिशत के करीब थी।

ऑपरेटरों की मार्केट हिस्सेदारी और उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया सकल राजस्व का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट-2 मार्केट शेयर - मार्च 2015

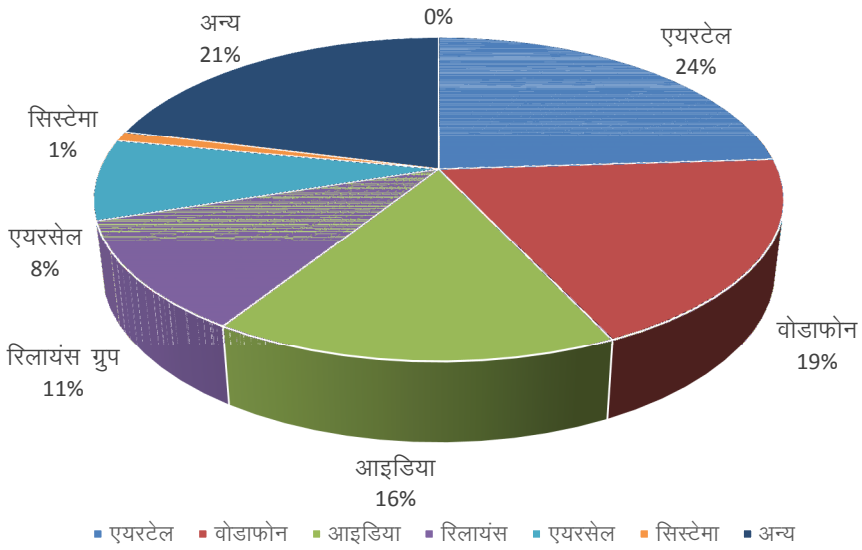

स्रोत: टी आर ए आई

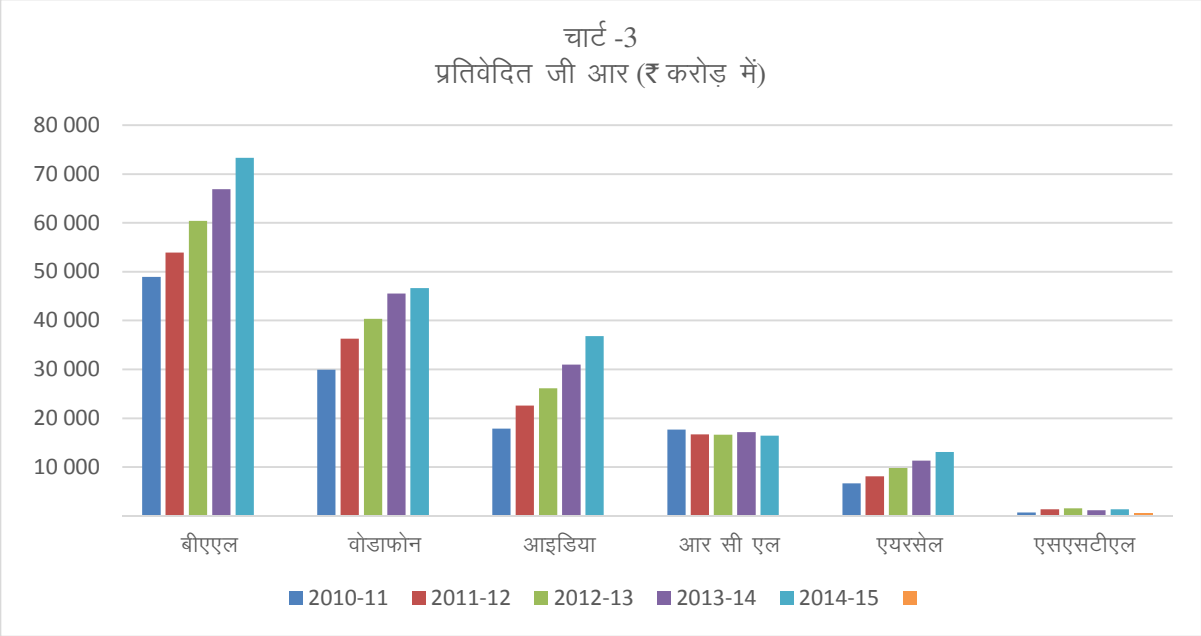

टिप्पणी: लेखापरीक्षा में एसएसटीएल के सभी नौ वर्षों के जी आर को शामिल किया गया है।

1.7 लेखापरीक्षा पद्धति

सभी आपरेटरों ने अपनी वित्तीय प्रणाली (ओरेकल फाइनेंशियल अथवा एस ए पी) के सामान्य बही खाता (जनरल लेज़र) पूछताछ माड्यूल लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए। लेखापरीक्षा ने लेखा कोड जो लाइसेंस अनुबन्ध के अनुरूप सकल राजस्व एवं राजस्व शेयरिंग के उद्देश्य से कटौतियों से सम्बन्धित थे, तथा लेखापरीक्षा में सकल राजस्व के प्रस्तुतीकरण हेतु अपना लेखा तैयार करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप आपरेटरों द्वारा किए गए अनुपालन का परीक्षण नमूना जाँच के आधार पर की। लाइसेंसी ने ए जी आर विवरण पत्रों तथा सेवा राजस्व, अन्य आय एवं लाभ हानि खातों की वित्तीय आय का समाशोधन जो ट्रायल बैलेंस (टी बी) से उचित प्रकार से से मिलाया गया था, उपलब्ध कराया। अतिरिक्त आकड़ें, सूचना और स्पष्टीकरण, आवश्यकता पड़ने पर लेखापरीक्षा पूछताछ के माध्यम से एवं संबंधित प्रचालको के साथ विचार-विमर्श करके प्राप्त किए गए।

सभी आपरेटरों के साथ निकास बैठकें आयोजित की गई, जिनमें प्रारंभिक निष्कर्षों/प्रेक्षणों पर विस्तार से चर्चा हुई। आपरेटर अनुसार प्रारूप लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को दूरसंचार विभाग तथा इसकी अग्रिम प्रति संबंधित आपरेटरों को लेखापरीक्षा प्रेक्षणो पर उनके विचार/प्रतिक्रिया जानने के लिए जारी की गई। यह रिपोर्ट आपरेटरों एवं मंत्रालय से प्राप्त प्रतिक्रियाओं/प्रत्युत्तरों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

1.8 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा में प्रयोग किए गए प्रमुख मानदंड है:

- समय समय पर संशोधित किए गए लाइसेंस अनुबंध के प्रावधान
- लाइसेंस शुल्क एवं स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार के संग्रहण पर दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किए गए विविध अनुदेश

1.9 आभार

इस लेखापरीक्षा को सुगम बनाने में दूरसंचार विभाग एवं सभी छह दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रबंधन के द्वारा किए गए सहयोग की हम हार्दिक सराहना करते हैं।